भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 283*

08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बिहार में आयुष को बढ़ावा दिया जाना

*283. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा बिहार में आयुर्वेद तथा आयुष की अन्य पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे/प्रस्तावित प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार में योग, प्राकृतिक चिकित्सा और यूनानी चिकित्सा से संबंधित कार्यशील संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों की कुल संख्या का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में ऐसे और अधिक संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी जिला-वार और पद्धति-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बिहार के विभिन्न जिलों में आयुष अस्पताल खोलने का कार्य काफी समय से लंबित है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 08 अगस्त, 2025 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 283* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): आयुष मंत्रालय, बिहार सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से वर्ष 2014 से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है और राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करके देश में आयुर्वेद सहित आयुष पद्धति के समग्र विकास और संवर्धन के उनके प्रयासों का समर्थन कर रहा है। मिशन, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रावधान करता है:-

i. आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) रखा गया है।
ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं का सह-स्थापन।
iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।
iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास) के लिए भवन का निर्माण/उन क्षेत्रों में नए आयुष औषधालय स्थापित करने हेतु भवन का निर्माण जहाँ आयुष सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं।
v. 10/30/50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।
vi. सरकारी आयुष अस्पतालों, सरकारी औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति।
vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम।
viii. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना, जहाँ सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।
ix. आयुष स्नातक संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचना विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना।

इसके अलावा, आयुष मंत्रालय आयुष चिकित्सा पद्धतियों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आयुष में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) को बढ़ावा देने हेतु एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना भी क्रियान्वित करता है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में जनसंख्या के सभी वर्गों तक पहुँचना है और इस योजना के तहत, मंत्रालय राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर आरोग्य मेले, योग फेस्ट/उत्सव, आयुर्वेद पर्व आयोजित करता है, आयुर्वेद दिवस सहित आयुष पद्धतियों के महत्वपूर्ण दिवस मनाता है, स्वास्थ्य फेयर/मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेता है, सेमिनार, कार्यशालाओं, सम्मेलनों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और मल्टीमीडिया अभियान आदि चलाता है।

(ख): पटना जिले में राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल नामक एक शैक्षणिक संस्थान है और बिहार के विभिन्न जिलों में 333 यूनानी औषधालय कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद का एक परिधीय संस्थान, क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (आरएआरआई) और केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद का एक परिधीय संस्थान, क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जो आयुष मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय हैं, बिहार के पटना जिले में कार्यरत हैं।

(ग) और (घ): चूँकि जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान बिहार राज्य में योग, प्राकृतिक चिकित्सा और यूनानी चिकित्सा से संबंधित संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। हालाँकि, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के

अंतर्गत आयुष शिक्षण संस्थानों और 10/30/50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल (आईएएच) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। तदनुसार, राज्य सरकार राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है।

(ङ) और (च): चूंकि जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, आयुष अस्पतालों को खोलना बिहार राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि, एनएएम के तहत, एसएएपी के माध्यम से बिहार राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, वर्ष 2015-16 के दौरान पटना जिले में एक 50 बिस्तरों वाले आईएएच को मंजूरी दी गई है और राज्य सरकार द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार इस अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इसके अलावा, वर्ष 2023-24 के दौरान, एसएएपी के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, आयुष मंत्रालय ने गोपालगंज, दरभंगा और खगड़िया जिलों में प्रत्येक इकाई के लिए 500.00 लाख रुपये की राशि के साथ तीन 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल को मंजूरी दी है। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार, इन 3 अनुमोदित एकीकृत आयुष अस्पतालों को अभी तक कोई निधियां आवंटित नहीं की गई है।

*****